न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
120/2014	2014/0778	08.05.2014	17.11.2022

उनवान प्रकरण

1. लोकेशसिंह उम्र 28 साल
2. शक्तिसिंह उम्र 25 साल
3. शेरसिंह उम्र 24 साल

पुत्रगण स्व0 विक्रमसिंह जाति दरोगा निवासी जालपाली (श्रीमाधोपुर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——वादीगण

बनाम्

1. जितेन्द्रसिंह उम्र 23 साल
2. रणजीतसिंह उम्र 21 साल

पुत्रगण स्व. बिशनसिह जाति दरोगा निवासी जालपाली (श्रीमाधोपुर) तहसील तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3. रामसिंह पुत्र भूरसिंह उम्र 67 साल जाति दरोगा निवासी जालपाली (श्रीमाधोपुर) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल सीकर किसान कॉलोनी, सीकर।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधापुर जिला सीकर राज0
5. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री हीरासिंह धायल, जितेन्द्र कुमार गौड, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर।

वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 953 क्षैत्रफल 5 बीघा 13 बिस्वा जिसके वर्तमान कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623, 2624 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.44 हैक्टर बारानी–2 तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से है। उक्त वर्णित भूमि पर पूर्व में सजरा खानदान के अनुसार माल्या उर्फ महालसिंह पुत्र भूरसिंह काबिज काश्त चला आ रहा था तथा भूमि की खसरा गिरदावरियां संवत 2014, 2015 व संवत 2017, 2018, 2019, 2020 उक्त माल्या पुत्र भूरा दरोगा के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान सजरा खानदान के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा माल्या उर्फ महालसिंह व प्रेमकंवर, पुष्पा कंवर, नीरज कंवर पुत्रीयां माल्या उर्फ महालसिंह व मनोज कंवर पुत्री माल्या उर्फ महालसिंह के वारिसान मोहित सिंह, राखी व शालू ने अपने हक हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग लेख उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर मे मृतक विक्रम सिंह व मृतक बिशन सिंह पुत्रगण माल्या उर्फ महालसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के हक में करवा दिया है तथा मृतक विक्रम सिंह पत्नी नन्दू कंवर ने अपने पुत्रगण वादीगण के हक में व मृतक [illegible] सिंह की पुत्री रेखा कंवर व पत्नी मंजू कंवर ने अपने भाईयों–पुत्रगण प्र[illegible] संख्या–1 व 2 के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग लेख उप पंजियक कार्यालय में तस्दीक [illegible] गया है तथा उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादीगण संख्या– 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या– 3 का कोई संबंध या सरोकार किसी किस्म का नही रहा है ना ही कोई कब्जा काश्त रहा है। इसलिए उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा का वादीगण को व 1/2 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या– 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या– 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या– 1 ता 3 को वादीगण के 1/2 हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी हिस्सानुसार 1/2 हिस्सा वादीगण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परंतु अब उनके मन में बदनियति आ गयी है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 ने आपस में नाजायज गिरोह बना रखा है जो दिनांक 02.05.2014 को इंकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने वादीगण को धमकी दी है कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या–3 के नाम गलत दर्ज खातेदारी अपने अकेलो के नाम दर्ज करवाकर वादीगण को उनके हक हिस्सा व कब्जा काश्त 1/2 हिस्सा की भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगे। इसलिए अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने न्यायालय में दावा पेश कर दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623, 2624 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 1.44 हैक्टर बारानी–2 तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हिस्सानुसार 1/2 हिस्सा का वादीगण व 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या–3 रामसिंह पुत्र भूरसिंह का नाम हजफ किये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नही करे ना ही बेदखल करे ना ही दिगर से करावे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीगण के हितो पर कुठारघात होने बाबत निवेदन किया गया है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 की ओर से श्री हीरा सिंह धायल एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 की सम्मन तामील असालतन होने के वाबजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 3 की तामील जरिये समाचार पत्र दैनिक उद्योग आसपास में दिनांक 09 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हो चुकी है। बावजूद समाचार पत्र में प्रकाशन के आदिनांक तक हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के वाबजूद हाजिर अदालत नही आये है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। साक्ष्य वादीगण में वादी लोकेश सिंह व गवाह प्रेमकवँर, झाबरमल स्वामी व मोहनसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जिसके अनुसार पारिवारिक समझौते के अनुसार सरकारी नौकरी लगने एवं सीकर शहर में स्थायी मकानात बनाकर रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 रामसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि अपने सगे भाई मालसिंह उर्फ मालया पुत्र भूरसिंह का सुपुर्द कर कब्जा काश्त संभला दिया गया। इसके उपरान्त प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2623, 2624 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी वर्तमान में म्हालसिंह, रामसिंह पुत्रगण भूरसिंह जाति दरोगा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। खसरा गिरदावरियॉं सम्वत् 2014, 2015, 2017 से 2020 में उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरियॉं माल्या पुत्र भूरा दरोगा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 आपस में एक ही परिवार खानदान से होना सजरा खानदान से स्पष्ट प्रमाणित होता है। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील जरिये समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं होने से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 का उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों से किसी प्रकार का कोई सरोकर किसी किस्म का नहीं होना प्रकट होता है। वादीगण की साक्ष्य में गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रों से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के म्हालसिंह पुत्र भूरसिंह जाति दरोगा की सन्तान होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट प्रमाणित होता है। जिसके आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमियाँ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियाँ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा प्रतिवदी संख्या 3 का पारिवारिक समझौता व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय काले और अन्य बनाम चकबंदी उपनिदेशक तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में कौटुम्बिक(पारिवारिक) समझौता (**Family settlement**) जो एक ही कुटुम्ब के सदस्यों के बीच हुआ है तथा सद्भाविक भाव से हो तो वह मान्य होगा तथा पारिवारिक समझौता मौखिक भी हो सकता है, जिसका कोई रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623, 2624 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादीगण को 1/2 हिस्सा [illegible] का काबिज खातेदार काश्तकार का एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/[illegible] प्रतिवादी संख्या 3 का नाम घोषित किया जाकर उक्त भूमियों के राजस्व [illegible] दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

12/11/22

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2623, 2624 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण को 1/2 हिस्सा का एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.22 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:54 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)